



website-www.upavp.in, email-ayadhyardko@upavp.com (mailto:email-ayadhyardko@upavp.com)

दिनांक-

સેવા બે,
શ્રી/શ્રીમતી/કુ
પત્ની/પુત્ર/પુત્રી
નિવાસી
મહોદય/મહોદયા,

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद की अवधि विहार योजना, मुन्ताज़पुर पोस्ट, मन्तलुङ के सेक्टर- मे दिनांक से दिनांक तक आवासीय मूखण्डों का आनताइन पंजीकरण होता गया था। दिनांक एवं को पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पन्न सार्वजनिक सादरी का से घयन के फलस्वरूप आपको मूखण्ड संख्या- आवंटित हुआ है। आवंटित सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

शहर
योजना का नाम-
ग्रून्ड संख्या-
भुगतान पद्धति-
पंजीकरण पत्रादि-
ग्रून्ड का क्षेत्रफल-
नूनि दर-

सखनउ
अयध यिहार

फॉर्म नंबर -
सम्पत्ति श्रेणी - भूखंड

रु०
- यर्ग०मी०
रु० - प्रति यर्ग०मी०

सम्पत्तिक कुतः मूल्य

कुल देय धनराशि दिन की सीमा में (3+4+5)



शेखोत्तम प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद



(कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध-अग्रिम विहार योजना पंचम तल, आफिस गम्पलेक्स रोड-७
पुन्दावन योजना रायबरेली रोड, लखनऊ)

website-www.upavp.in, email-ayadhvi@upavp.com (mailto:email-ayadhvi@upavp.com)

नोट-

- (1) आवंटन पर निर्गत होने के दिन के अन्दर भूखण्ड के कुल मूल्य का भुगतान करने पर प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी। आवंटन पर निर्गमन की तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का दिनों में भुगतान करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (2) आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/रीलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- (3) न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन हुआ तो तदनुसार भुगतान करना होगा।
- (4) भूखण्ड पर कब्जा दिये जाने के बाद निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- (5) उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिवर्तन लागू होंगे।
- (6) आप द्वारा प्रस्तुत जाति व अन्य प्रमाण पत्र में कभी भी जाँच/सत्यापन के उपरान्त असत्य पाये जाने पर भवन/भूखण्ड निरस्त कर जमा पंजीकरण धनराशि एवं ब्याज जम्मा करके कब्जा वापस ले लिया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि से माह में प्रदान करेगा। परिषद द्वारा विनम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटन की दिनांक 01.04.2020 को एस०बी०आई० की पन्नाबी ब्याज दर डब्ल्यू प्रतिशत के अनुसार 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी आवंटन की भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किरतें जमा करने में कभी डिफॉल्ट न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये तथा पञ्चतम उन्नतन की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (8) आवंटन तैयारी में सफल आवेदकों को आवंटन पर निर्गमन तिथि से दिनों के अंदर संपत्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार निष्पादन पंजीकृत करना होगा।
- (9) बिक्री करार निष्पादन के पश्चात कब्जा पत्र निर्गत होगा। प्रदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवंटन को अपने मूल दस्तावेजों को संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि उनका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जा सके।
- (10) आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकताएँ पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (11) किसी भी देय धनराशि के विनम्ब से भुगतान करने पर प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- (12) प्रदेश पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकताएँ विनम्ब में पूर्ण करने पर विनम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक विनम्ब अवधि हेतु रखरखाव शुल्क रु० 50 प्रतिदिन देय होगा।
- (13) भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि होने की दशा में, तदनुसार धनराशि देय होगी।
- (14) प्रदेश/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि में, बैंक में अवकाश होने की स्थिति में, बैंक के आगामी कार्य दिवस तक किरत की धनराशि अथवा पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में, विनम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- (15) यदि आपके द्वारा पूर्व में आरक्षण का नाम लिया गया है, के तथ्य को छिपाया गया है, पुष्टि/जाँच के उपरान्त तथ्य प्रकाश में आता है तो आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड का पंजीयन/आवंटन हेतु जमा की गई पंजीकरण धनराशि को जम्मा करते हुये निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- (16) यदि कोई पंजीकृत आवेदक नाटरी में घयन होने के बाद परन्तु निर्गत प्रदेश पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त कराने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में, पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- (17) किसी भी विवाद की स्थिति में, आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (18) आवेदक द्वारा देय धनराशि, खाता शीर्षक- उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, IFSC कोड- , कोष पता- , में नियमानुसार जमा की जायेगी। भुगतान करने के उपरान्त सम्बंधित बैंक अधिकारी मो० सं० - से सूचित अवश्य करेगा।
- (19) किरत की दशा में चालन जेनेरेट किया जायेगा, आवंटन द्वारा किरतों की दशा में भी धनराशि देय होगी।

भूखण्ड को किसी भी पूर्ण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ० प्र० आवास एवं विकास को कोई आपत्ति नहीं है।